

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

राजकुमार लालचन्द आदि

दावा बाबत :- 88 R.A.C.

मुकदमा नम्बर :- 81/2021

निर्णय दिनांक :- 02-12-2021

वादी की ओर से वकील विनोद पुजारा की व प्रतिवादी सं० 1 काउ की ओर से वकील उमिद कोसरा की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-12-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेधा मौजा घोडा खालसा के खाता सं० 56/6 के खसरा सं० 164/2 की 5716 हे०, खसरा सं० 165/2 की 9308 हे० कुल 15024 हे० वारानी व शेधा मौजा रामपुरा के खाता सं० 87/87 के खसरा सं० 143 की 9377 हे० वारानी लुबि मुनि प्रतिवादी सं० लालचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है मं से प्रतिवादी सं० लालचन्द के बजाए वादी राजकुमार व प्रतिवादी सं० लालचन्द, प्रतिवादी सं० 2 यशराम का संयुक्त रूप से 3 हिस्सा व प्रतिवादी 3 शांति देवी पत्नी याताराम, प्रतिवादी सं० पु सीतल, व प्रतिवादी सं० सु संदीप का संयुक्त रूप से 4 हिस्सा के खेतों का कालाकार घोडा का कालाकार जाते हैं यदि लुबि मुनि वंश के रदन घेती रदनमुक्त होने के उपरान्त ही राजस्व रिकार्ड में अफलादुराम दर्ज किया जावे राजानामा का डिक्री का आग पढा जावे

खर्चा पक्षकारांग अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 02-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(शिविर प्रशासक R.A.S.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ़
कुर्वा